

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोचर ( आर0ए0एस0 )  
मिसल न0- 32./2021  
अनवान :-

1. गीतादेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गेर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955  
उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 26/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायला की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला की कृषि भूमि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैक् व प0न0 366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैक् व 10/2 की 0.012हैक् व 11/2 की 0.003हैक् वर्तमान जमाबन्दी में नहरी दर्ज है किन्तु सायला व अन्य काश्तकार आपसी सहमति से रास्ते के उपयोग में ले रहे हैं व इसी रास्ता से सायला एवं अन्य काश्तकार आवागमन करते आ रहे हैं किन्तु वर्तमान रिकार्ड में सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

सायला वर्तमान चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो

सायल ने गैरसायल संख्या 1 को रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैक् व प0न0 366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैक् व 10/2 की 0.012हैक् व 11/2 की 0.003हैक् में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैक् व प0न0 366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैक् व 10/2 की 0.012हैक् व 11/2 की 0.003हैक् रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल निवेदन किया की सायला स्वयं अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकार करवाना चाहती है राज्यहको सुरक्षित रखते हुए रास्ता स्वीकार फरमावे।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला की कृषि भूमि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैक् व प0न0

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैव व 10/2 की 0.012हैव व 11/2 की 0.003हैव वर्तमान जमाबन्दी में नहरी दर्ज है किन्तु सायला व अन्य काश्तकार आपसी सहमति से रास्ते के उपयोग में ले रहे हैं व इसी रास्ता से सायला एवं अन्य काश्तकार आवागमन करते आ रहे हैं किन्तु वर्तमान रिकार्ड में सायला के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

सायला वर्तमान चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने सायला को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैव भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला का कथन है कि सायला की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैव में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैव व प0न0 366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैव व 10/2 की 0.012हैव व 11/2 की 0.003हैव भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायला के नाम नहरी दर्ज है किन्तु सायला उक्त भूमि को रास्ते के उपयोग में ले रही है इसलिये वह रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

सायला स्वयं अपनी खातेदारी भूमि को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है कोई भी खातेदार काश्तकार स्वेच्छा से अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के उपयोग में ली जा रही भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है हस्तगत प्रकरण में सायला स्वयं अपनी खातेदारी भूमि में स्वेच्छा से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायला स्वयं अपनी भूमि में रास्ता स्वीकार करवाने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैव में से प0न0 365/387(33) किला न0 15/2 की 0.012हैव व प0न0 366/387(32) के किला न0 1/2 की 0.013हैव व 10/2 की 0.012हैव व 11/2 की 0.003हैव रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल गिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
क्रमांक : राजस्व/रास्ता/2022/2519 दिनांक 27/07/22

तहसीलदार,  
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध  
में प्रार्थना-पत्र सं० 32 सन 2021 निर्णय दिनांक 26/07/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. गीतादेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।  
-गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा  
चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 50/43 की कुल 1.052हैक् में से प०न० 365/387(33)  
किला न० 15/2 की 0.012हैक् व प०न० 366/387(32) के किला न० 1/2 की 0.013हैक्  
व 10/2 की 0.012हैक् व 11/2 की 0.003हैक् रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार  
राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)  
जिला